

2021

(3) संकीर्ण दृष्टिकोण (Narrow perspective) :-
 भारतीय समाज में लड़कियों को लड़कों की अपेक्षा अपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है। लड़का और लड़की में भेदभाव किया जाता है। कड़वाही सोच के कारण पुत्र को मोक्ष-प्राप्ति का साधन माना जाता है। कहीं-कहीं तो बन्धा को बंधे देहज आदि वुप्रथाओं और समाज में 'इज्जत' की नजर से देखा जाने के कारण आज के दशक में पढी-लिखी महिलायें भी 'कन्या भ्रूण-हत्या' में भागीदारी निभा रही हैं।

समाज के इस दृष्टिकोण के कारण लड़कियों को हीन दृष्टि से देखा जाता है। उन पर अनेक पाबन्दियाँ लगायी जाती हैं। उन्हें शान्त, सौम्य सहनशील और आज्ञाकारी होने के उपदेश दिये जाते हैं। बाल्यावस्था से ही उन्हें सामाजिक नियोग्यता का अहसास कराया जाता है। अभिभावकों का लड़कियों की शिक्षा के प्रति उदासीनता वाला दृष्टिकोण भी स्कुल छोड़ने वाली बालिकाओं की संख्या को बढ़ा देता है।

(4) लड़कियों के विरुद्ध अपराध (Crime against Girls) :-
 बाल्यावस्था में ही बहुत-सी लड़कियाँ शारीरिक हिंसा, यौन उत्पीड़न, बलात्कार, अपहरण, हत्या आदि का शिकार हो जाती हैं और इसके

विरुद्ध परिवार एवं रिश्तेदारों द्वारा आवाज न उठाना एक बड़ी समस्या है। यह समस्या भारतीय समाज में व्यापक है। संस्कृति, सभ्यता और परम्पराओं की पैरवी करने वाली हमारी जातीय और खास पंचायतों जैसे-जैसे प्रभुत्व जारी करती रहती है जो बालिकाओं के विकास के माग में चुनौतियाँ बन जाती हैं। बहुत से ऐसे भी कस दजे होते हैं जहाँ विद्यालयों में भी बालिकायें सुरक्षित नहीं होती, अध्यापकों और सहपाठियों की कुदृष्टि का शिकार हो जाती हैं।

(5) भेदभाव (Discrimination) :-

मूल्यों, माँ के काम में बहने, उर की भावना, मूलतः घर संभालने की सोच आदि कारणों से बालिकायें भेदभाव का शिकार होती रहती हैं। लड़कियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति अभिभावकों में रुचि और जागरूकता का अभाव स्पष्ट दिखाई देता है। लड़कियों में कुपोषण का कारण भोजन की कमी न होकर उन तक भोजन का न पहुँच पाना है। कम भोजन के कारण उनका शारीरिक और ताम्रक विकास प्रभावित होता है। उनका वजन कम होता है, वे दौड़ी-दौड़ी बीमारी से संघष नहीं कर पातीं। समाज में आज भी कई जगह लड़कों को अच्छा खाना-पीना और लड़कियों को किसी तरह से जिन्दा रहे इस तरह से ध्यान दिया जाता है।

2021

(6) बाल्यावस्था प्रशिक्षण (Childhood Training)

बच्ची को बचपन से ही कम बोलना, प्रतिवाद-विवाद न करने, स्वामिश रहने के लिए सिखाया जाता है। बराबर बोलना, वाद-विवाद करना इसके लिए निषिद्ध होता है। अधिक बोलना बाली, तर्कशील, जागरूक प्रतिक्रियाओं की बुरी और संदिग्ध निगाहों से देखा जाता है। इस तरह के दबाव के कारण बालिकाओं का स्वाभाविक, मानसिक, सवैगालभिक सामाजिक और नैतिक विकास अवलूत होता है। वे पराधीन, उपेक्षित बनने लगती हैं। उनकी रचनात्मक शक्ति और अनुभवों की उपेक्षा होती है। वे अपने अधिकारों को समझने में असमर्थ रहती हैं जिसका बीभत्स परिणाम उन्हें आज चलकर देवना पड़ता है। बाल्यावस्था में ही उनका व्यक्तित्व कुण्ठित हो जाता है, छड़ी होकर सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक दबाव में पिसती रहती हैं। उनकी सक्रियता और प्रतिभा समाप्त हो जाती है।

(7) मानव अधिकार (Human Rights) -

वास्तविकता यह है कि भारतीय सांस्कृतिक वैचरव में बालिकाओं के मानवाधिकारों का कोई स्थान नहीं होता। उन पर नैतिक-ताथे थोपी जाती हैं। उन्हें स्वत्वाधिकारों का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाला वातावरण ही नहीं मिलता।

8 उनकी इच्छा - अनिच्छा को सम्मान नहीं दिया जाता।

10 * हाशिए पर रहने वाले समुदाय का विकास
(Growing up in Marginalized Communities)

11 भूमिका। - हमारे समाज में रहने वाले
बहुत से ऐसे समुदाय हैं, जिनका
12 समाज से बहिष्कृत किया गया एवं वह
एक वंचित वर्ग की तरह एक विशेष
1 क्षेत्र में रहते हैं। उनकी स्थिति बहुत
1 दुर्भाग्यपूर्ण होती है। वह समाज
2 से बहुत ही पिछड़े होते हैं। यहाँ पर
बच्चों का जीवन बहुत ही दयनीय
3 होता है। उनका रहन-सहन सामाजिक
विकास नैतिक विकास एवं शैक्षिक विकास
4 का बराबर ही पाता है। यहाँ
लड़कियों की स्थिति बहुत ही दयनीय
5 होती है। बच्चों का कम उम्र में ही
भाँव बन जाती है तथा वह कामकाज में
6 जीवन व्यतीत करती हैं। इस प्रकार
से हम कह सकते हैं कि सामाजिक
रूप से वंचित या बहिष्कृत रूप से
रहने वाले समुदाय को हाशिए

07 Sunday

पर रहने वाला समुदाय को हाशिए
पर रहने वाला समुदाय कहते हैं।
इसके लिए सरकार में तरह-तरह
के शिक्षा कार्यक्रम चलाने का प्रयास
किया है जो निम्नलिखित है:-

2021

- (i) सेवाओं में आरक्षण तथा अन्य सुविधाएँ
- (ii) परीक्षा-पूर्व कोचिंग
- (iii) वंचित वर्गों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति
- (iv) मैट्रिक के बाद पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति
- (v) छात्र- एवं छात्राओं के लिए विद्यालय निम्न एवं अनिवार्य शिक्षा
- (vi) छात्र- छात्राओं के लिए छात्रावास ।

अतः इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के बच्चों के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है जिससे वंचित वर्ग के बच्चों को बहुत हद तक सुधार हुआ है। अब भी बहुत सुधार की जरूरत है जिसके लिए सरकार को अपने नीतियों में और सुधार करना होगा, हमेशा यह ध्यान देना होगा कि जो भी नियम और कानून बनता है उसका लाभ वंचित वर्ग के बच्चों को मिलता है कि नहीं उस समुदाय को विकसित करने के लिए सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ।